मार्च 26, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-13

COVID-19 के लिए कार्यकारी आदेश
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 11)

जबकि, मैं जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), ने इलिनॉय के गवर्नर, के प्राधिकार से कोरोना वायरस बीमारी 2019 (COVID-19) के प्रकोप के प्रतिक्रिया स्वरूप 9 मार्च 2020 (गुबरनेटोरियल डिजास्टर प्रोक्लेमेशन) को राज्य की सभी काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित किया है; और,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; तथा,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फ़ीट की दूरी बनाए रखनी होती है, हमारे समुदायों में COVID-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

जबकि, COVID-19 के परिणामस्वरूप कुछ जनसमूह अधिक गंभीर रुग्णता का अनुभव करने के उच्चतर जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध वयस्क एवं गंभीर दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, फेफड़ों के रोग या अन्य मानसिक या शारीरिक स्थितियों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं; और,

जहाँ, इलिनॉय सुधार विभाग ((“IDOC”) की वर्तमान में 28 आवासीय व सुविधा क्षेत्रों में 37,000 से अधिक पुरुष और महिला निवासियों की आबादी है, इनमें से अधिकांश लोगों, उनकी निकटता और आवास डाइनिंग हॉलों में एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने कारण वे COVID-19 के संक्रमण और प्रसार होने की दृष्टि से विशेष रूप से असुरक्षित हैं; तथा,

जहाँ, COVID-19 की जांच हेतु किए गए परीक्षण में रोग-लक्षण जिनमें सकारात्मक (positive) पाए गए, उन्हें अन्य लोगों से अलग रखने की व्यवस्था और अस्पताल में अलग कमरे की सुविधा मुहैया कराने की क्षमता सीमित है; तथा,

जबकि, काउंटी जेलों के बंदियों, जो IDOC इकाइयों में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, में एक-दूसरे से बेहद समीपता एवं संपर्क के कारण, कोविड-19 (COVID-19) के लक्षण हो सकते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं; और,

जबकि, IDOC में काउंटी जेलों से प्रतिदिन ऐसे बंदी आते हैं जिन पर दंडनीय अपराधों के दोष सिद्ध हुए हैं और जिन्हें इलिनॉय के न्यायालयों ने IDOC की अभिरक्षा और नियंत्रण में जाने का दंड दिया है; और,

जबकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि IDOC के निदेशक सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन के अनुरूप, IDCO इकाइयों में कोविड-19 (COVID-19) का प्रसार रोकने, और कोविड-19 (COVID-19) से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठा सकें, IDOC इकाइयों में बंदियों की संख्या में वृद्धि पर रोक लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है;

अत, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), और 7(12) के अनुसरण में, तथा राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में वर्णित शक्तियों की अनुरूपता में, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 26 मार्च, 2020 सायं 5:00 बजे से प्रभावी होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन) की शेष अवधि तक लागू रहेगा, जो वर्तमान में 7 अप्रैल, 2020 तक है:

धारा 1. सभी इलिनॉय काउंटी जेलों से इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) में सभी दाख़िले स्थगित किए जाते हैं, सिवाय उन मामलों के जो सीमित आवश्यक स्थानांतरणों के लिए एकमात्र इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) के निदेशक के विवेकाधीन होंगे। इलिनॉय

सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) के निदेशक काउंटी शेरिफ़ों के साथ और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य साझेदारों के साथ ऐसे अन्य संभावित अपवादों पर चर्चा के लिए समीपता से कार्य करेंगे जो आवश्यक हो सकते हैं।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी 26 मार्च, 2020
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा दायर 26 मार्च, 2020